अंडमान एक्सप्रेस

सच्च का आईना

वर्ष : 7 | अंक : 239 | पंजीयन सं. RNI - ANDHIN/2007/21285 | पोर्ट ब्लेयर | बुधवार | 30 अक्तूबर 2013 | मूल्य : रू 2/-

DIRECTORATE OF TRIBAL WELFARE
Diary No: 2834
Date: 5-11-13

मु.स. का गोपनीय अनुभाग
CS's Confidential Cell
सा.सं./RD No. 6903
दिनांक/Date 31/10/13

आदिवासी युवतियों के वीडियो के मामले के उजागर से मचा हडकम्प - जांच कमेटी गठित

पोर्ट ब्लेयर, 30 अक्तूबर। द्वीपों में पिछले कई सालों से अश्लील वीडियो फिल्मों का मामला प्रकाश में आता रहा है। परन्तु आज तक इस संबंध में किसी तरह की कोई कार्रवाई नही हो पाई।

इस अश्लील वीडियो फिल्म के चलते कई परिवार बर्बाद तक हो चुके हैं। परन्तु अभी हाल ही में एक स्थानीय साप्ताहिक पत्र ने इस संबंध में खबर प्रकाशित किया, जिसमें जनजाति युवतियों के अश्लील वीडियो के मामले को प्रकाश में लाए जाने के चलते उप राज्यपाल के निर्देश के चलते इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे प्रकरण में कुछ आपराधिक मानसिकता स्तर के लोगों का एक संगठित गिरोह इस प्रकार के कार्य में लिप्त है, जो कि भोली-भाली युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उसके बाद उन्ही की अश्लील वीडियो ग्राफी करके सीडी को बाजारों में बेचते हैं।

अब जरूरत इस बात की है कि स्थानीय पुलिस को चाहिएं कि सबसे पहले शहर के जितने भी सीडी और वीडियोग्राफी से संबंधित दुकानदार हैं, उनसे कड़ी पूछताछ की जाए और इस मामले में जो भी अपराधी पाया जाता है, उसे कानून के तहत कडी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए।

इस बीच इसी संबंध में अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पोर्ट ब्लेयर की केन्द्रीय अपराध शाखा की पुलिस थाना में 26 अक्तूबर 2013 को आई.टी.(अमेंडमेंट) एक्ट 2008 की धारा 67ए में पड़ी जाने वाली भारतीय दंड संहिता की दफा 292 के तहत अपराध संख्या 702/13 के द्वारा नियमित आपराधिक [illegible] है। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक सीआईडी के पुलिस उप अधीक्षक को जांच का जिम्मा सौंपा गया है।

गौरतलब है कि 'पोर्नोग्राफिक वीडियोज ऑफ ट्राइबल गर्ल्स [illegible] इन दि सिटी– एडमिनिस्ट्रेशन कॉट नैपिंग' शीर्षक से विशिष्ट अखबार में छपी खबर की वास्तविकता जानने के लिए जांच अधिकारी को सहयोग देने के वास्ते विशेष जांच दल का गठन किया गया है। सीआईडी के पुलिस अधीक्षक द्वारा यह जानकारी दी गई है।

Office of the Executive Secretary
1438
19/11/13

AC (T.W.)